प्रकरण सं. 28/2024 भरत बनाम देवीलाल

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
10/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप.। अप्रार्थीगण के समन बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 3 बाद सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया, अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 के बाद सूचना असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 16/10/25 को पेश हो। 6/10/25
10/25	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसिएशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 26/11/25 को पेश हो। आज्ञा से रीडर
11/25	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष — पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 31/12/25 को पेश हो। [illegible] से रीडर
2/25	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसिएशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 19/1/26 को पेश हो। आज्ञा से रीडर
1/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप.। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 4/2/26 को पेश हो। 19/1/26
2/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप.। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र — लगातार — 4/2/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण सं. 28/2024 भरत बनाम देवी

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
4/2/26	के तथ्यों का दोहराव करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पुर की आराजी नं. 6836/1, 6846/1, 6846/4, 6847/1, 6848/1, 6849/1, 6863/1 किता 7 कुल रकबा 0.5691 है. भूमि प्रार्थीगण के दादा देवी पिता भीमा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के दादा देवी पिता भीमा को उनके पिता भीमा पुत्र गंगाराम से खरीद विरासत प्राप्त हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि आराजियात होने से प्रार्थीगण का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है, वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से से वंचित करने के लिये विपक्षी सं. 1 लगा. 3 के मध्य दुरभीसंधि है और विपक्षी सं. 1 लगा. 3 उनके प्रार्थीगण को पैतृक कृषि आराजियात में उनके हक हिस्से से वंचित करना चाहते है। यदि विपक्षी सं. 1 लगा. 3 को वादग्रस्त सम्पत्ति में विपक्षी सं. 1 लगा. 3 को वादग्रस्त सम्पत्ति के मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त सम्पत्ति के अंतरण करने, रहन रखने से नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से करना सम्भव नहीं होगा। इसके अलावा नवीन वाद - विवाद उत्पन्न होंगे अतिरिक्त नवीन वाद - विवाद उत्पन्न होंगे जिसे रोका जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त सम्पत्ति का अंतरण नहीं करने, रहन नहीं रखने हेतु विपक्षी सं. 1 लगा. 3 को पाबन्द फरमाया जावे तथा विपक्षी सं. 4 राजस्व — लगातार — सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा

प्रकरण सं. 28/2020

भरत बनाम देवीलाल

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहलकार को जो हुक्म की तामील के अर्थ पर
5/02/26	रिकॉर्ड को मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे। विपक्षी सं. 1 लगा. 3 द्वारा दौराने वाद के विचारण/निस्तारण तक वादग्रस्त सम्पत्ति के अंतरण/रहन बाबत् कोई दस्तावेज विपक्षी सं. 5 के समक्ष वास्ते पंजीयन हेतु पेश किया जावे तो दस्तावेज पंजीकृत नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं सम्बन्धित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुणपूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु पत्रावली का निम्न तीन बिन्दुओं के आधार पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है:- (i) प्रथमदृष्टया मामला (ii) सुविधा का सन्तुलन (iii) अपूरणीय क्षति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुणपूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु उक्त तीनों बिन्दुओं का संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार वादग्रस्त सम्पत्ति वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज है तथा विपक्षी सं. 1 प्रार्थीगण का दादा है जिसे वादग्रस्त सम्पत्ति उसके पिता धीसा पुत्र गंगाराम से जरिये विरासत प्राप्त हुई है, इस प्रकार वादग्रस्त सम्पत्ति प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजियात होना प्रथमदृष्टया	

[signature] 5/2/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण सं. 28/2026

प्रार्थी बनाम देवी

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5/2/26	सिद्ध होती है तथा प्रार्थीगण का वादग्रस्त सम्पत्ति में जन्म से ही हक-अधिकार उत्पन्न होने से प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार होने से उसके हितों को मूलवाद के निर्णय तक सुरक्षित रखने का दायित्व न्यायालय का है तथा नवीन वाद-विवाद उत्पन्न होने से रोकने का दायित्व न्यायालय का है अतः उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति का विपक्षी सं. 1 लगा. 3 द्वारा दीगर व्यक्तियों को अन्तरण कर दिये जाने पर नवीन वाद-विवाद उत्पन्न होंगे तथा वाद-विवादों को उत्पन्न होने से रोकने हेतु मूलवाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 5/1/26 को मूलवाद के निर्णय तक स्थाई किया जाना न्यायसंगत उचित है। अतएव **आदेश** प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है और मूलवाद के निर्णय तक ग्राम ... की वादग्रस्त सम्पत्ति आराजी नं. 6836/1, 6846/1, 6846/4, 6847/1, 6848/1, 6849/1, 6849/4 कुल किता 7 कुल रकबा 0.5691 है. भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षी सं. 1 लगा. 3 को पाबन्द किया जाता है। विपक्षी सं. 1 लगा. 3 मूलवाद के निर्णय तक वादग्रस्त सम्पत्ति का अंतरण/हस्तांतरण नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है। विपक्षी सं. 4 राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व विपक्षी सं. 5 के वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में बाबत दस्तावेज का पंजीयन नहीं करने हेतु मूलवाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नकल से कम हो। (हस्ताक्षर) 5/2/26 सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा